कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हापुड।

पत्रांकः–प0– ५० /सीएफओ–हापुड/2019 दिनांकःसितम्बर 28 ,2019

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद–हापुड़।

विषयः– मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपॅरेशन लि0, द्वारा खसरा संख्या–1643छ, ग्राम–बागड़पुर, तहसील–गढमुक्तेश्वर, जनपद– हापुड़, उ0प्र0 में नवीन रिटेल आउटलेट पर 01 अदद् 35 के0एल0 01 अदद 22 के0एल0 पेट्रोलियम क्लास 'बी0' (एच0एस0डी) तथा 01 अदद, 22 के0एल0 01 अदद 16 के0एल0 पेट्रोलियम क्लास 'ए0' (एम0एस0) के भूमिगत टैंक स्थापित करने हेतु जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

सन्दर्भः–आपके पत्र संख्याः–16546/न्याय सहायक प्रथम/अनापत्ति/ दिनांकः 07 सितम्बर 2019 के क्रम में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र सन्दर्भित का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसमें प्रश्नगत रिटेल आउटलेट पर 01 अदद् 35 के0एल0 01 अदद् 22 के0एल0 पेट्रोलियम क्लास 'बी0' (एच0एस0डी) तथा 01 अदद, 22 के0एल0 01 अदद 16 के0एल0 पेट्रोलियम क्लास 'ए0' (एम0एस0) के भूमिगत टैंक स्थापित करने हेतु स्थलीय निरीक्षण कर अग्निशमन जाँच आख्या प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। अनुपालनार्थ मेरे द्वारा मानचित्रों एवं प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण अग्नि संश्य के दृष्टिगत सुसंगत मानकों के अनुरूप किया गया।

प्रश्नगत स्थल का प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गढमुक्तेश्वर, जनपद हापुड के द्वारा अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से सुसंगत मानकों के अनुरुप निरीक्षण कराया गया। उनकी संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या दिनांक:25.09.2019 के अनुसार प्रश्नगत स्थल ग्राम–बागड़पुर, तहसील–गढमुक्तेश्वर, जनपद–हापुड़, खसरा सं0–1643छ, मुरादाबाद–हापुड़ हाईवे पर गढमुक्तेश्वर टोल टैक्स से 2 कि0मी0 दूरी पर सड़क के किनारे स्थित है जिसके समीप वर्तमान मे कोई प्रोटेक्टिव वर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पर अग्निशमन विभाग की छोटी–बड़ी गाडियाँ आसानी से पहुँच कर किसी भी आपात स्थिति में अग्निशमन कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित कर सकती हैं।

1–मैकेनिकल फोम माउन्टेड ट्रॉली क्षमता–45 लीटर–02 अदद्।
2–मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता–09 लीटर–02 अदद्।
3–ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर्स 10 किग्रा–04 अदद्।
4–सी0ओ0टू फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता–4.5 लीटर–2 अदद्।
5–फायर/सैण्ड फायर बकेट मय स्टेण्ड–05/05 अदद्।
6–सैण्ड रिर्जव–100 घनफिट।
7–धूम्रपान निषेध बोर्ड–02 अदद्।
8–बेल्चा–02 अदद्।
9–अग्निशमन केन्द्र गढमुक्तेश्वर का टेलीफोन नम्बर–05731–221056, 09454418759, 101, 100 एवं पुलिस कन्ट्रोल रुम नम्बर–09454405126 बोर्ड पर लिखवाकर रखना अनिवार्य होगा।
10–विद्युत वायरिंग ओआईएसडी–173 के अनुसार कराई जाये।
11–लाईसेन्स एरिया में इलैक्ट्रिक जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाईटें फ्लेमप्रूफ होनी चाहियें।
12–इमरजेन्सी ऑन/ऑफ साईट प्लान ओआईएसडी–225 के अनुसार होना चाहिये।
13–साथ ही मानचित्र मे अंकित निर्देशो का भी अनुपालन करना आवश्यक होगा।

उक्त के अतिरिक्त निर्माण के उपरान्त रिटेल आउटलेट पर पेट्रोलियम एक्ट–1934,पेट्रोलियम रूल्स–2002 में प्राविधानित शर्तों का पालन किया जाना भी अनिवार्य होगा, तथा प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा के क्रम मे स्वामी/प्रबन्धक को यह भी निर्देशित करने की कृपा करें कि संचालन करने से पूर्व प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित कर अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी से निरीक्षण कराकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।

अतः जाँच आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित है।

Sharma 28/09/19
(मनु शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद–हापुड़।

प्रतिलिपिः–प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गढमुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।